25.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प रूल्याणा माली में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि सरपंच ग्राम पंचायत, रूल्याणा माली द्वारा एक प्रार्थना–पत्र सूची दस्तावेजात के साथ पेश हो चुका है कि प्रकरण से संबंधित आराजियात में प्रार्थी मूंगाराम ने स्थगन प्राप्त कर रखा है। जिसके कारण नरेगा द्वारा सड़क निर्माण रूका हुआ है। कैम्प स्थल पर भी सरपंच द्वारा मौखिक निवेदकन किया कि जनलाभकारी सुविधा सड़क को नरेगा द्वारा उक्त स्थगन की वजह से नहीं पूरा नही किया जा रहा है। अतः उक्त स्थगन को नरेगा द्वारा सड़क निर्माण कार्य से निर्बाध रखा जावे। उक्त को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। आवागमन के लिए सड़क एक आवश्यक सुविधा है। अतः उक्त जारी स्थगन नरेगा द्वारा बनायी जा रही सड़क निर्माण में प्रभावी नहीं होगा तथा यह आदेश दिया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजियात के संबंध में दिनांक 24.05.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणाधीन सड़क के निर्माण में प्रभावी नहीं होगा। तदनुसार आदेश। हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किया। पत्रावली से संबंधित मूल प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर निर्णित कर दिया गया है। अतः अब आगे हस्तगत प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय मजमे आम कैम्प स्थल पर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प रूल्याणा माली

Web Copy - Not Official